

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
(निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी),
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक.....जून, 2015

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-गैर योजना-00-090-सचिवालय-0024-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड-N2052000900024 के अंतर्गत 11 01 यात्रा व्यय में प्रावधानित राशि 13,20,000/- (तेरह लाख बीस हजार रु०) में से शेष राशि 8,84,400/- (आठ लाख चौरासी हजार चार सौ रु०) मात्र हेतु आवंटन।

मह.शय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 17/बी०एस०जी०-05/2015-396 /वि० दिनांक-24.04.2015 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-04 के बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-गैर योजना-00-090-सचिवालय-0024-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड-N2052000900024 गैर योजना में आय-व्ययक अनुमान 2015-16 में 11 01 यात्रा व्यय में 13,20,000/- (तेरह लाख बीस हजार रुपये) का बजट उपबंध प्राप्त है।

02. यात्रा मद में उपबंध 13,20,000/- में से प्रथम चौमाही के लिए 4,35,600/- मात्र का आवंटन विभागीय पत्रांक-01, दिनांक-01.04.2015 के द्वारा किया गया था। वित्त विभाग के आदेश सं०-396, दिनांक-24.04.2015 के अनुसार दिनांक-31.03.2016 तक बिहार विनियोग अधिनियम (संख्या-2) अधिनियम, 2015 पूरे वर्ष के लिए पारित किया जा चुका है। अतः यात्रा व्यय मद में शेष राशि 8,84,400/- (आठ लाख चौरासी हजार चार सौ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

03. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-गैर योजना-00-090-सचिवालय-0024-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड-N2052000900024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा। इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

04. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

05. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-06/बजट (आवंटन)-45/2015.....पटना-15, दिनांक....., 2015
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-06/बजट (आवंटन)-45/2015.....पटना-15, दिनांक....., 2015
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव


ज्ञापांक - मं0मं0-06/बजट (आवंटन)-45/2015...08.....पटना-15, दिनांक 23/06/2015
प्रतिलिपि - वित्त विभाग, (बजट शाखा)/लेखा शाखा (दोहरी प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर, ✓
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव
23/6/15

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मांग सं०-04 के बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-00-090-सचिवालय-0024 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग विपत्र कोड- N2052000900024- गैर योजना मद में प्राप्त 11 01 यात्रा व्यय उपबन्ध में राशि का आवंटन।

विषय शीर्ष	आय-व्यय अनुमान 2015-2016	प्रथम आवंटन 2015-2016	इस पत्र के द्वारा शेष राशि का कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
11 01 यात्रा व्यय	1320000	435600	884400
कुल योग	1320000	435600	884400

(आठ लाख चौरासी हजार चार सौ रुपये) मात्र।


(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव